रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2016/चैत्र 23, 1938
No. 264] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2016/ CHAITRA 23, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धिपत्र

मुंबई,12 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 417(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा 15 फरवरी 2016 को जारी अधिसूचना सं. फेमा. 362/2016-आरबी जो सा.का.नि. 166(अ) के मार्फत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी (जिसे इसके पश्चात गज़ट अधिसूचना कहा गया है) में-

2. पैरा 2 (बी) में

i. (ए) (iए) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(iए) "नियंत्रण" शब्द में शेयरधारण अथवा प्रबंधन अधिकार अथवा शेयरधारक करार अथवा मताधिकार करार के कारण बहुसंख्यक निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार अथवा प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णय पर नियंत्रण शामिल है।

सीमित देयता भागीदारी फ़र्मों के प्रयोजन के लिए - "नियंत्रण" शब्द का अभिप्राय बहुसंख्यक नामित भागीदारों की नियुक्ति से है, जहां कुछ खास अपवादों को छोडकर, ऐसे नामित भागीदार सीमित देयता भागीदारी फर्म की सभी नीतियों पर नियंत्रण रखते हैं।"

ii. (सी)(v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"(v) यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी निवेश में सभी प्रकार के विदेशी निवेश अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों, अनिवासी भारतीयों, वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (GDRs), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्डों और पूर्णतः, अधिदेशात्मक और अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों /

डिबेंचरों के जरिए किए गए निवेश शामिल हैं, भले ही ऐसे निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1, 2, 2ए, 3, 6, 8 9 और 10 के अंतर्गत किए गए हों।"

iii. (डी)(ii)(ए) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"*ए. ऐसी कंपनी / सीमित देयता भागीदारी फ़र्म को एसआईए (SIA), डीआईपीपी (DIPP) और एफआईपीबी (FIPB) को अपने द्वारा किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश, नए/मौजूदा उद्यम (विस्तार कार्यक्रम सहित/रहित) में निवेश के तरीके सहित, ऐसे निवेश करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर http://www.fipb.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म में अधिसूचित करना होगा, भले ही पूंजी लिखत (capital instrument) आबंटित न हुए हों;*"

3. पैरा 2(सी)(ii) में निम्नलिखित अंतर्निहित / प्रतिस्थापित किया जाएगा :

i. "(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-पैरा 4 में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात :

(v) शेयरों के स्वाप के द्वारा, बशर्ते जिस कंपनी में निवेश किया गया हो वह कंपनी स्वचालित मार्ग से निवेश करने के क्षेत्र में संलग्न हो, और निवेश की राशि कितनी भी क्यों न हो, स्वाप व्यवस्था में शामिल शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी मर्चेन्ट बैंकर अथवा भारत से बाहर अपने गृह देश में किसी उचित विनियामक प्राधिकारी के पास पंजीकृत किसी निवेश बैंकर द्वारा किया जाएगा।

नोट: *कोई कंपनी यदि ऐसे क्षेत्र में संलग्न है जिसमें विदेशी निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन लेना अपेक्षित है, तो वह स्वाप के जरिये अनिवासियों को शेयर सरकारी अनुमोदन से ही जारी कर सकती है।*

4. पैरा 2 (सी)(iv) में

ए. अनुसूची 1 के संलग्नक 'बी' का मौजूदा क्रमांक 6.1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन ।	49%	49% तक स्वचालित मार्ग से। 49% से अधिक सरकारी मार्ग के अंतर्गत, मामले–दर-मामले के आधार पर, जहां इससे देश में आधुनिक और आत्याधुनिक तकनीक तक पहुँच संभव हो सकती है।

बी. अनुसूची 1 के संलग्नक बी का निम्नलिखित मौजूदा क्रमांक 16.3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

16.3	**एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार**	100%	49% तक स्वचालित मार्ग से; 49% से अधिक सरकारी मार्ग से;
	(1) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन तथा विपणन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, उपभोक्ताओं हेतु ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की सोर्सिंग बढ़ाने को प्रोत्साहन देना और वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के तौर-तरीकों तक पहुंच को सुगम बनाते हुए भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने से है। (2) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा : (ए) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रांड' (सिंगल ब्रांड) के होंगे। (बी) उत्पाद एक ही ब्रांड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रांड के अधीन बेचे जाने चाहिए। (सी) 'एकल ब्रांड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है।		

	(डी) किसी अनिवासी संस्था (एंटिटी) / संस्थाओं को, चाहे ब्रांड का मालिक हो अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रांड के संबंध में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रांड के मालिक के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, विशिष्ट ब्रांड के लिए देश में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करने वाली संस्था अनुमोदन प्राप्त करते समय इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप से दर्शाने वाले लाइसेंस / फ्रैन्चाइज़ / उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल होगी। अपेक्षित साक्ष्य स्वचालित मार्ग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास और अनुमोदन मामले में SIA/FIPB के पास फाइल किए जाने चाहिए। (ई) 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के 30% की सोर्सिंग भारत से की जाएगी, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों (MSME's), ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी (घरेलू) सोर्सिंग की मात्रा कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणित की जाएगी, जिसे कंपनी द्वारा रखे गए विधिवत प्रमाणित खातों से सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा तदनंतर जांचा जाएगा। खरीद की इस अपेक्षा को कंपनी द्वारा कारोबार शुरू करने के समय अर्थात प्रथम स्टोर खोलने की तारीख से वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो। (एफ़) इस पैरा की शर्तों के अधीन, जिन सिंगल ब्रांड रीटेल ट्रेडिंग कंपनियों के स्टोर भौतिक रूप से मौजूद हैं, उन्हें ई-कॉमर्स के माध्यम से रीटेल ट्रेडिंग करने की अनुमति होगी। (3) भारत में 'सिंगल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता सचिवालय (SIA) को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदनपत्र में उस उत्पाद / उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रांड' के तहत विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रांड' के अधीन विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, प्रस्तावित उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाएगी। (4) सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) द्वारा विचार करने से पूर्व औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग द्वारा यह निर्धारण करने के लिए आवेदनपत्र पर कार्रवाई की जाएगी कि क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं। **नोट :** i. भारतीय ब्रांडों के सिंगल ब्रांड रीटेल व्यापार के संबंध में उपर्युक्त पैरा **(2)(बी) एवं (2)(डी)** की शर्तें लागू नहीं होंगी। ii. भारतीय निर्माता को स्वनिर्मित उत्पादों को ई-कॉमर्स सहित थोक, खुदरा अथवा किसी भी रूप में बेचने अनुमति है। iii. भारतीय निर्माता वह निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी है, जो भारतीय ब्रांड की मालिक है और भारत में विनिर्माण करती है, वह अपने उत्पादों के मूल्य का कम से कम 70% उत्पाद इन हाउस और अधिकतम 30% उत्पाद भारतीय निर्माताओं से ले सकती है। iv. भारतीय ब्रांड का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए और/अथवा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो। v. "अत्याधुनिक एवं कटिंग-एज तकनीक" वाले उत्पादों से संबन्धित एंटीटीयों और जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है ऐसे मामलों में सिंगल ब्रांड ट्रेड के विषय में सरकार सोर्सिंग मानदण्डों को शिथिल कर सकती है।

सी. अनुसूची 1 के संलग्नक 'बी' का निम्नलिखित मौजूदा क्रमांक 16.5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

16.5	**शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकाने**	**100%**	**स्वचालित**
	(i) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों का अर्थ सीमाशुल्क क्षेत्र के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों / अंतरराष्ट्रीय समुद्री बन्दरगाहों एवं लैंड कस्टम स्टेशनों के क्षेत्र में स्थापित वे दुकाने हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही होती है। (ii) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों में विदेशी निवेश कस्टम्स अधिनियम, 1962 तथा अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन होगा।		

	(iii)	शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों को देश के घरेलू टेरीफ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रीटेल गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

डी. मौजूदा पैराग्राफ एफ़ 5.2(3)(सी) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(सी) कोर निवेश कंपनियों (CICs) में निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) /विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) अपनी शेयरधारिता के आधार पर कंपनी के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करेंगे।"

5. गज़ट अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित बनी रहेगी।

[फा. सं. 1/3/ईएम-2016]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 12th April, 2016

G.S.R. 417(E).—In the Notification of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department No. FEMA. 362/2016-RB, dated February 15, 2016 bearing G.S.R.No.166 (E) and published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) (hereinafter referred as Gazette Notification)

2. In Paragraph 2(B)

i. (a) (ia) shall be substituted by the following

"(ia) 'Control' shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.

For the purpose of Limited Liability Partnership, 'control' shall mean right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusions to others, have control over all the policies of Limited Liability Partnership."

ii. (c) (v) shall be substituted by the following

"(v) *It is clarified that Foreign investment shall include all types of foreign investments i.e. FDI, investment by FIIs, FPIs, QFIs, NRIs, ADRs, GDRs, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) and fully, mandatorily & compulsorily convertible preference shares/debentures, regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1, 2, 2A, 3, 6, 8, 9 and 10 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, 2000."*

iii. (d)(ii)(a) shall be substituted by the following:

" a. *Such a company/LLP is to notify SIA, DIPP and FIPB of its downstream investment in the form available at* ***http://www.fipb.gov.in*** *within 30 days of such investment, even if capital instruments have not been allotted, along with the modality of investment in new/existing ventures (with/without expansion programme);"*

3. In para 2 (C) (ii) shall be substituted by the following:

i. " (ii) *in paragraph 2, in sub-paragraph 4, after clause (iv), the following shall be added, namely:*

"(v) by way of swap of shares, provided the company in which the investment is made is engaged in an automatic route sector, subject to the condition that irrespective of the amount, valuation of the shares involved in the swap arrangement will have to be made by a Merchant Banker registered with SEBI or an Investment Banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in the home country.

Note: *A company engaged in a sector where foreign investment requires Government approval may issue shares to a non-resident through swap of shares only with approval of the Government."*

4. In para 2(C)(iv)

a. The existing S. No. 6.1 of Annex B of Schedule 1 shall be substituted by the following:

6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951	49%	Automatic route up to 49% Above 49% under Government route on case to case basis, wherever it is likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.

b. The existing S. No.16.3 of Annex B of Schedule 1 shall be substituted by the following:

16.3	**Single Brand product retail trading**	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49%
	1) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices. 2) FDI in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions: a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only. b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India. c) 'Single Brand' product-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing. d) A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake 'single brand' product retail trading in the country for the specific brand, directly or through a legally tenable agreement with the brand owner for undertaking single brand product retail trading. The onus for ensuring compliance with this condition will rest with the Indian entity carrying out single-brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-licence agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and SIA/FIPB for cases involving approval. e) In respect of proposals involving FDI beyond 51%, sourcing of 30% of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procurement requirement would have to be met annually from the commencement of the business i.e. opening of the first store. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of Foreign Investment for the purpose of carrying out single-brand product retail trading. f) Subject to the conditions mentioned in this Para, a single brand retail trading entity operating through brick and mortar stores, is permitted to undertake retail trading through e-commerce. 3) Application seeking permission of the Government for FDI exceeding 49% in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'. Any addition to the product/product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh approval of the Government. In case of FDI up to 49 %, the list of products/product categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI. 4) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB		

	for Government approval. **Note:** i. Conditions mentioned at Para **(2) (b) & (2) (d)** will not be applicable for undertaking SBRT of Indian brands. ii. An Indian manufacturer is permitted to sell its own branded products in any manner i.e. wholesale, retail, including through e-commerce platforms. iii. Indian manufacturer would be the investee company, which is the owner of the Indian brand and which manufactures in India, in terms of value, at least 70% of its products in house, and sources, at most 30% from Indian manufacturers. iv. Indian brands should be owned and controlled by resident Indian citizens and/or companies which are owned and controlled by resident Indian citizens. v. Government may relax sourcing norms for entities undertaking single brand retail trading of products having 'state-of-art' and 'cutting-edge' technology and where local sourcing is not possible.

c. The existing S. No. 16.5 of Annex B of Schedule 1 shall be substituted by the following

16.5	**Duty Free Shops**	100%	Automatic
	(i) Duty Free Shops would mean shops set up in custom bonded area at International Airports/ International Seaports and Land Custom Stations where there is transit of international passengers. (ii) Foreign investment in Duty Free Shops is subject to compliance of conditions stipulated under the Customs Act, 1962 and other laws, rules and regulations. (iii) Duty Free Shop entity shall not engage into any retail trading activity in the Domestic Tariff Area of the country.		

d. The existing paragraph F.5.2 (3) (c) shall be substituted by the following:

"(c) FIIs/FPIs investing in CICs shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding."

5. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. 1/3/EM-2016]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-charge

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.